YADAV): (a) and (b) Government do not agree with the views expressed in the "Outlook" dated 26.10.98.

(c) The onion imported through NAFED on Government Account was of Iranian and Khyrgisthan origin.

(d) and (e) Does not arise.

जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों को गिरफ्तार किया जाना

648. **श्री जे. चितरंजन:**
श्रीमती सरोज दुबे:
श्री गुरुदास दासगुप्त:

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मूल्य-वृद्धि पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार द्वारा राज्य-वार कितने जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) क्या सरकार प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली कुछ वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत लाने का विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण-I संलग्न है। **(नीचे देखिए)**

(ख) से (घ) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत आवश्यक घोषित की गई वस्तुओं की सूची संलग्न विवरण-II है, में दी गई हैं **(नीचे देखिए)**। आवश्यक समझे जाने पर किसी भी नई वस्तु को इस सूची में शामिल कर लिया जाएगा।

विवरण-I

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	निम्न तक सूचित
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2060	सितम्बर
2.	असम	13	अगस्त
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	–
4.	बिहार	31	जून
5.	गुजरात	–	फरवरी
6.	गोवा	–	जून
7.	हरियाणा	20	अप्रैल
8.	हिमाचल प्रदेश	–	जुलाई
9.	जम्मू व कश्मीर	455	जुलाई
10.	कर्नाटक	11	मई
11.	केरल	–	अगस्त
12.	मध्य प्रदेश	13	जून
13.	महाराष्ट्र	251	फरवरी
14.	मणिपुर	1	जून
15.	मेघालय	–	अगस्त
16.	मिजोरम	–	जनवरी
17.	नागालैण्ड	–	सितम्बर
18.	उड़ीसा	15	अगस्त
19.	पंजाब	3	सितम्बर
20.	राजस्थान	2	जून
21.	सिक्किम	–	जुलाई
22.	तमिलनाडु	179	फरवरी
23.	त्रिपुरा	8	जून
24.	उत्तर प्रदेश	–	–
25.	पश्चिम बंगाल	319	जून
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	–	जून
27.	चंडीगढ	–	मई
28.	दादरा व नगर हवेली	–	मई
29.	दिल्ली	46	सितम्बर
30.	दमण व दीव	–	सितम्बर
31.	लक्षद्वीप	–	जुलाई
32.	पाण्डिचेरी	6	जून
	योग:	3433	

विवरण-II

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत आवश्यक घोषित की गई वस्तुओं की सूची

अधिनियम की धारा-2 के खण्ड (क) के तहत घोषित

1. खलियो व अन्य रातिबों सहित मवेशियों का चारा।
2. कोक और अन्य व्युतपन्नों सहित कोयला।
3. ओटोमोबाइल्स के संघटक भाग और पुर्जे।
4. सूती व ऊनी वस्त्र।
5. औषधियां।
6. खाद्य तिलहनों और तेलों सहित खाद्य पदार्थ।
7. लोहे और इस्पात के विनिर्मित उत्पादों समेत लोहा और इस्पात।
8. अखबारी कागज, पेपर बोर्ड और स्ट्रा बोर्ड सहित कागज।
9. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद।
10. कपास, ओटी हुई या बिना ओटी हुई तथा बिनौले।
11. कच्चा पटसन।

अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (क) के उपखंड (XI) के तहत घोषित

12. जूट वस्त्र
13. उर्वरक, अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित
14. सीमेंट
15. वस्त्र उद्योग में काम आने वाली मशीनें:
    (i) बुनाई मशीन
    (ii) कताई मशीन
    (iii) लेस मेकिंग मशीन
    (iv) बिजली से चालित करघा (पावर लूम)
    (v) प्रसंस्करण में काम आने वाली मशीनें
16. रेशम निर्मित वस्त्र
17. सम्पूर्णत: या आंशिक रूप में मानव-निर्मित सेल्युलोसिक और नान-सेल्युलोसिक काते गए तन्तुओं से निर्मित वस्त्र।
18. सम्पूर्णत: या अंशत: मानव-निर्मित सेल्युलोसिक और नॉन सेल्युलोसिक फिलामेंट यार्न से निर्मित वस्त्र
19. सामान्य लाइटिंग सर्विस लैम्प
20. बिजली की इस्त्री, हीटर और इसी प्रकार के अन्य उपकरणों जैसे घरेलू उपकरण
21. नारियल की भूसी (कच्चे या सडाए हुए)
22. बिजली के केबल और तार
23. मानव-निर्मित सेल्युलोसिक और नॉन-सेल्युलोसिक स्टैपल फाइबर
24. पूर्णत: या अंशत: निम्न में से किसी वस्तु से निर्मित यार्न:-

    (i) कपास (ii) ऊन (iii) मानव निर्मित सेल्युलोसिक कते हुए रेशे (iv) मानव निर्मित नॉन-सेल्युलोसिक कता हुआ रेशा (v) रेशम
25. (i) मानव निर्मित सेल्युलोसिक एवं नॉन सेल्युलोसिक फिलामेंट यार्न (ii) नाइलॉन टायर/कोर्ड/फैब्रिक
26. कापियां
27. नारियल की भूसी से निष्कर्षित क्वायर फाइबर
28. कीट नाशक, कवकनाशक, खर-पतवार नाशक और उन जैसे अन्य पदार्थ
29. चाय
30. (i) खाद्य फसलों के बीज और फूलों व सब्जियों के बीज (ii) मवेशी चारों के बीज और (iii) पटसन बीज
31. (i) घरेलू व इसी प्रकार के अन्य प्रयोजनों के लिए स्विच (ii) 2-एम्पीयर स्विच (iii) 3-पिन प्लग और सॉकेट आउट लेट

Import of Onion

649. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is the total quantity of onion which was proposed to be imported from the foreign countries and how much quantity has since been imported; and

(b) how much expenditure has since been incurred in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYAPAL SINGH YADAV): (a) The Government has accorded permission to import a quantity of 10,000 MTs of onion on a need based basis, on Government account, for distribution through public distribution agencies. Out of this, a quantity of 687 MTs were imported by NAFED for distribution in Delhi.